

भति जिसके लिए बीमाधारक अनुबंधित रूप से जिम्मेदार हो। कर्मियों या डिजाइन अथवा सामग्री जिसके लिए सलाहकर्ता जिम्मेदार हो।

**अनुभाग 6 (ख) -** आकड़ों तथा प्रोग्राम की पुनः स्थापन लागत

**आवर्तित जोखिम :** अनुभाग 6 (क) के अनुसार

**अपवर्जन :** प्रत्येक दावे का 5%, ऐसे संग्रहित आंकड़े और सामग्री जिसमें निर्माता के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, अपरिचित घटना से मिटना अथवा खराब होना, आकड़ों का अंतर्निहित मूल्य, नकली अथवा प्रोग्राम परिवर्तन के लिए आई लागत।

**अनुभाग 6 (ग) - सुबाह्य कम्प्यूटर -** विध में कहीं भी जाते समय

**आवर्तित जोखिम :** अनुभाग 6 (क) के अनुसार

**विशेष टिप्पणी :** अनुभाग 6 (क), 6 (ख) और 6 (ग) की दरें वैध होंगी जब कि उपकरण वार्षिक रख-रखाव संविदा के अंतर्गत हो। इस प्रकार का संविदा न होने पर दरों पर निम्नानुसार लोडिंग लागेगी।

अनुभाग 6 (क) और 6 (ख) के लिए :

- 1 लाख तक की बीमित राशि की पॉलिसियों पर, उपर्युक्त दरों के अनुसार 50%।
- 2 लाख की बीमित राशि से अधिक की पॉलिसियों पर, उपर्युक्त दरों के अनुसार 100%।

अनुभाग 6 (ग) के लिए :

बीमित राशि से निरपेक्ष, दरों पर 50% की लोडिंग होगी।

**अनुभाग 7 -** किराये का अतिरिक्त व्यय - यदि अधिवास परिसर टूट गया हो और अधिवास के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो तब वैकल्पिक आवास के लिए।

**आवर्तित जोखिम :** अनुभाग 2 (क) के अनुसार

**अनुभाग 8 -** स्वयं और कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

**आवर्तित जोखिम :** दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी संपूर्ण या आंशिक विकलांगता और अस्थायी संपूर्ण विकलांगता।

**अनुभाग 9 -** कार्यालय के उपकरणों तथा विद्युतीय तथा मशीनी गैजेट्स का ब्रेकडाउन।

**आवर्तित जोखिम :** विद्युतीय और मशीनी ब्रेकडाउन

**अनुभाग 10 -** बैगज : भारत में यात्रा के दौरान स्वयं और/अथवा कर्मचारी से संबंधित बैगज की हानि या क्षति।

**आवर्तित जोखिम :** कोई दुर्घटना और/अथवा दुर्भाग्य

प्रीमियम की गणना, प्रति व्यक्ति प्रति घटना सीमा पर आधारित न होकर, किसी एक वर्ष में सभी व्यक्तियों के लिए राशि के अंतर्गत सीमा पर की जाएगी।

**अनुभाग 11 -** देयता : जन देयता और कामगार मुआवजा - मृत्यु अथवा शारीरिक चोट और/अथवा तृतीय पक्ष की संपत्ति की हानि और कामगारों के लिए देयता।

**आवर्तित जोखिम :** स्वयं की लापरवाही और/अथवा स्थायी रूप से उसके साथ रह रहे परिवार का कोई सदस्य।

**टिप्पणी -**

- (क) स्वामी बीमाधारक (बिल्डिंग) के लिए अनुभाग 1 और 2 (क) अनिवार्य हैं।
- (ख) किरायेदार बीमाधारक (बिल्डिंग) के लिए अनुभाग 2 (क) अनिवार्य हैं।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें।  
कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा।

**"बीमा आग्रह की विषय वस्तु है"**

cost, loss or damage for which insured is contractually liable, defects or design or material for which suppliers are responsible.

**Section 6 (B) -** Cost of Reinstatement of Data and Programme.

**Risks covered :** As per Section VI(A)

**Exclusion :** 5% of each claim, data carrying materials not stored as in makers instructions, erasure and corrupted from unidentifiable occurrence intrinsic value of the data, cost incurred for false programme or alteration of programme.

**Section 6 (e) - Portable Computer -** Whilst being carried anywhere in the world:

**Risks covered :** As per Section VI(A).

N.B. The rates for sections 6A, 6B & 6C are valid when the equipment is under Annual Maintenance Contract. In the absence of such a contract the rates will be loaded as follows:

For Section 6A & 6B:

- (i) Policies with sum insured upto Rs.1 lac. 50% loading on above rates.
- (ii) Policies with sum insured above Rs.1 lac. 100% loading on above rates.

For Section 6C:

The rates will be loaded by 50% irrespective of sum insured.

**Section 7 -** Additional expenses of Rent - for alternate accommodation if premises occupied is damaged and declared unfit for occupation.

**Risks Covered :** As per Section 2A

**Section 8 -** Personal Accident Insurance for self and employees:

**Risks Covered :** Death, Permanent total or partial disablement, and Temporary total disablement due to accident.

**Section 9 -** Breakdown of office appliances, and electrical and mechanical gadgets.

Risks covered : Electrical and mechanical breakdown.

**Section 10 -** Baggage : Loss or Damage to baggage belonging to self and/or employees whilst on journey anywhere in the world.

**Risks covered :** Any accident and/or misfortune.

The premium will be calculated on amount under limit of Any one year for all persons and not on limit of anyone event per person.

**Section 11 -** Liability : Public Liability and Workmens' Compensation - Death or bodily injury and/or damage to property of third party and liability for workers.

**Risks Covered :** Negligence of self and/or any family, members permanently residing with him.

**NOTE:**

- (a) Section I and II (A) are compulsory for Owners (Building) insured.
- (b) Section II(A) compulsory for Tenant (Building) insured.

For further details contact your nearest NIA Office.  
For legal interpretation English version will hold good.

**"Insurance is the subject matter of Solicitation"**

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 1100 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।

The New India Assurance Co. Ltd. is the largest and the oldest non-life insurance company with more than 1100 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम मरीन, अग्नि, समुद्रपारिय मेडीकेल, व्यक्तिगत दुर्घटना और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं।  
We also insure risks relating to MARINE, FIRE, OVERSEAS MEDICLAIM, PERSONAL ACCIDENT and a lot more.

अग्रणी कंपनी का आधार  
ASSURANCE OF THE LEADER



दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड  
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वधीन / Wholly owned by the Govt. of India)

भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी  
India's Premier Non-Life Insurance Company

एजेंसी विभाग  
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I  
न्यू इंडिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 028.

Agency Cell  
Mumbai Regional Office - I  
New India Bhavan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 028.  
(आई.आर.डी.ए. रजिस्ट्रेशन संख्या / IRDA Registration No. : 190)  
CIN No. : U99999 MH1919 GOI 000526  
Website : [www.newindia.co.in](http://www.newindia.co.in)

आपके कार्यालय के लिए संपूर्ण सुरक्षा Overall SURAKSHA for your Office

हम आपके कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं We ensure that your Office is secured



दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वधीन)  
भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी  
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD  
(Wholly owned by the Govt. of India)  
India's Premier Non-Life Insurance Company

Walkin@p2009@yahoo.in

**OFFICE PROTECTION SHIELD - GENERAL**

**कार्यालय सुरक्षा कवच - साधारण**

Section	Building	Rates per mille
Section 1	Building	0.40 %
Section 2A	Contents (Fire + Burglary)	1.15 %
Section 2B	Tenants Liability	0.40 %
Section 3	Money Insurance	2.40 %
Section 4	Fixed Glass & Sanitary Fittings	8.50 %
Section 5	Fidelity Guarantee (Rs. 10 per Capita)	5.00 %
Section 6	A. Damage to Electronic Equipment B. Cost of Reinstatement of Data C. Portable Computers	9.00 % 9.00 % 18.00 %
Section 7	Additional Expenses of Rent for Alternative Accommodation	0.40 %
Section 8	Personal Accident - As per guidelines	
Section 9	Breakdown of Office Appliances, equipments machinery only upto 10 yrs in age	12.00 %
Section 10	Baggage	6.00 %
Section 11	(A) Public Liability (B) Workmen's Compensation	1.00 % As per erstwhile tariff

**+ Service Tax**

**Other features :**

- Section 1 and Section 2A-Compulsory for Owners (Building) Insured.
- Section 2A - Compulsory for Tenant (Building) Insured.
- Minimum 5 Sections to be Insured for Owner (Building)
- Minimum 4 Sections to be Insured by Tenant (Building)
- Section Discounts :
  - For additional 2 Sections above minimum Sections described in 2 above. 10% discount on premium
  - For additional 4 Sections above minimum Sections described in 2 above. 15% discount on premium
  - For additional 7 Sections above minimum Sections in described 2 above. 20% discount on premium
- Renewal Discount : If the Insured renews the policy with Company, then discount on renewal would be available for same Sections Insured previously.
 

1st renewal	5% on premium
2nd renewal	10% on premium
3rd renewal	15% on premium
4th renewal	20% on premium (maximum)
- The grace period for availability of Renewal Discount would be 60(sixty) days.

- दर प्रति मिलि.
- अनुभाग 1 - बिल्डिंग 0.40%
  - अनुभाग 2 ए सामान (अग्नि + चोरी) 1.15%
  - अनुभाग 2 बी किरायेदारों की देयता 0.40%
  - अनुभाग 3 धन राशि का बीमा 2.40%
  - अनुभाग 4 फिक्स्ड ग्लास और सैनिटरी फिटिंग्स 8.50%
  - अनुभाग 5 निष्ठा गारंटी (रु. 10 प्रति व्यक्ति) 5.00%
  - अनुभाग 6 ए. विद्युतीय उपकरणों की क्षति 9.00%
  - अनुभाग 6 बी. आंकड़ों को पुनः स्थापित करने की लागत 9.00%
  - अनुभाग 7 वैकल्पिक आवास के लिए किराये का अतिरिक्त व्यय 18.00%
  - अनुभाग 8 व्यक्तिगत दुर्घटना - दिशा निर्देशों के अनुसार 0.40%
  - अनुभाग 9 कार्यालय के यंत्रों, उपकरणों तथा मशीनरी का ब्रेकडाउन (केवल 10 वर्ष की आयु तक के) 12.00%
  - अनुभाग 10 बैगज 6.00%
  - अनुभाग 11 ए) जन देयता 1.00%
  - अनुभाग 11 बी) कामगार मुआवजा प्रचलित टैरिफ के अनुसार

**सेवा कर अतिरिक्त**

- अन्य विशेषताएँ :**
- अनुभाग 1 तथा अनुभाग 2 ए - स्वामी (बिल्डिंग) बीमाधारकों के लिए अनिवार्य है।
  - अनुभाग 2 ए - किरायेदार (बिल्डिंग) के लिए अनिवार्य है।
  - स्वामी (बिल्डिंग) के लिए न्यूनतम 5 अनुभागों का बीमा लेना होगा। किरायेदार (बिल्डिंग) के लिए न्यूनतम 4 अनुभागों का बीमा लेना होगा।
  - अनुभाग छूट :
    - न्यूनतम 2 अतिरिक्त अनुभागों के लिए उपर्युक्त 2 में दर्शाए गए न्यूनतम अनुभागों के लिए 10% की छूट
    - उपर्युक्त में दर्शाए गए 4 अतिरिक्त अनुभागों, उपर्युक्त 2 में ऊपर दर्शाए गए न्यूनतम अनुभागों के लिए 15% की छूट
    - ऊपर दिए गए 7 अतिरिक्त अनुभागों, उपर्युक्त 2 में ऊपर दर्शाए गए न्यूनतम अनुभागों के लिए 20% की छूट
  - नवीनीकरण छूट : यदि बीमाधारक कंपनी के साथ पॉलिसी नवीकृत करता है, तब पूर्व सामान बीमित अनुभागों पर नवीकरण करने पर छूट उपलब्ध होगी।
 

प्रथम नवीकरण	प्रोमियम पर 5%
दूसरा नवीकरण	प्रोमियम पर 10%
तीसरा नवीकरण	प्रोमियम पर 15%
चौथा नवीकरण	प्रोमियम पर 20% (अधिकतम)
  - नवीकरण छूट प्राप्त करने के लिए, छूट अवधि 60 (साठ) दिन होगी।

**टिप्पणी / आवरण :**

**अनुभाग 1 - बिल्डिंग** - बिल्डिंग में स्वामी के फिक्स्चर, फिटिंग, बाइरो देवार तथा बड़ा (बिल्डिंग के स्वामी का) शामिल है।

**आवर्तित जोखिम** : अग्नि, विस्फोटन, हवाई जहाज से क्षति, पानी की टंकी का फटना और बहना, हड़ताल, नगरी उग्रध्व और हेरफेर क्षति, भूकंप, अग्नि/आलावन, तूफान, झंझावात, हरीकेन, साइकलॉन, प्रचंड तूफान, बवंडर तथा किसी रेल/सड़क के बहना अथवा जानकर द्वारा संघात क्षति।

**अपवर्जन** : भूकंप अग्नि, सर्पित जो तापन अथवा शोषक प्रक्रिया के अंतर्गत हो, अधिक प्रयोग करने से विद्युतीय स्थापनाओं को क्षति अत्यधिक दबाव, शॉर्ट सर्किट, कर्मचारियों द्वारा बीमाधारक के व्यसन अथवा व्यवसायिक साझेदारों अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा क्षति।

**अनुभाग 2 (क) - कार्यालय का सामान** - फर्निचर, फिक्स्चर, फिटिंग, विद्युतीय उपकरण, कपड़े, कर्मचारियों अथवा बीमाधारक का व्यक्तिगत सामान।

**आवर्तित जोखिम** : अनुभाग 1 के अनुसार, चोचमारी, लूटमार तथा डकैती सहित।

**अपवर्जन** : निम्नलिखित के साथ अनुभाग 1 के अनुसार :  
क) पशुधन, मोटर वाहन और धनराशि, धन के लिए प्रतिभूतियाँ, स्टैम्पस, बुलियन, बॉन्ड्स, विनिमय-पत्र, वचन-पत्र, शेयर व स्टॉक प्रमाण-पत्र, मॉडल, बिना सेटिंग के मूल्यवान रत्न, जेवर तथा कीमती सामान और रु. 1000/- से अधिक मूल्य की कलाकृति या कलाकारी का काम।

ख) आंकड़ों में निहित जानकारी का ब्रेकडाउन होना या मिटना, वाहन में सामान और/अथवा किसी प्रकार की परिणामी क्षति।

**अनुभाग 2 (ख) - किरायेदार की देयता** - एक किरायेदार के रूप में फिक्स्चर और फिटिंग सहित कार्यालय परिसर को क्षति।

**आवर्तित जोखिम** : अनुभाग 2(क) के अनुसार

**अनुभाग 3 - धन राशि** - मार्गस्थ धन राशि, कार्यालय समय में और कार्यालय समय के बाद तिजोरी में क्षति।

प्रोमियम की गणना, बीमाधारक द्वारा दिये गए प्रस्ताव प्रपत्र में सभी 4 उप-अनुभागों के अंतर्गत घोषित कुल बीमित राशि पर की जाएगी।

**आवर्तित जोखिम** : कोई दुर्घटना और/अथवा दुर्भाग्य।

**अपवर्जन** : गलती से अल्पता, बीमित कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को सौंपी गई धन राशि, तिजोरी से, झुलीकेट या भिन्न राशि द्वारा धन राशि की क्षति।

**अनुभाग 4 - फिक्स्ड ग्लास / सैनिटरी फिटिंग**

**आवर्तित जोखिम** : दुर्घटना/दुर्घट्ट, भ्रम को पहेली क्षति सहित।

**अनुभाग 5 - निष्ठा गारंटी** - बीमाधारक द्वारा नियुक्त वेतन-प्राप्त व्यक्ति। गारंटी के लिए प्रोमियम के साथ, कुल व्यक्तियों की संख्या (जिनके लिए गारंटी मांगी गई है) के अनुसार प्रति व्यक्ति रु. 10/- लिया जाएगा।

**आवर्तित जोखिम** : द्रव्य मूल्य को धोखाधड़ी और/अथवा बेईमानी इत्यादि के कारण क्षति।

**अनुभाग 6 (क) - विद्युतीय उपकरण तथा आंकड़ा वाहक सामग्री**

**आवर्तित जोखिम** : अपेक्षी आकस्मिक मौलिक क्षति, विशिष्ट रूप से अपवर्जित को छोड़कर अन्य कारणों से क्षति या क्षति।

**अपवर्जन** : मल्लेख दावे का 10%, पूर्व विद्यमान क्षतियाँ व खराबी, सामान्य दुर्घटना व क्षति के कारण क्षति, रखरखाव लागात, क्षति या

**NOTE/COVERAGE :**

**Section 1 - Building** - Building including landlord's fixtures, fittings, boundary wall and fences (Building Owners) :

**Risks covered** : Fire, Explosion, Aircraft Damage, Bursting and overflowing of water tanks, Riot, Strike and Malignous Damage, Earthquake Fire and/or shock, subsidence and landslide (including rockslide) damage, Flood, inundation, Storm, Tempest, and Hurricane, Cyclone, Typhoon and Tornado and Impact damage by any Rail/Road vehicle or animal.

**Exclusions** : Subterranean Fire, property undergoing any heating or drying process, damage to electrical installation due to over running, excessive pressure, short circuiting, damage by employees, partners of the Insured's business or profession, or members of his household.

**Section 2 (A) - Office Contents** : Furniture, fixtures, fittings, electrical appliances, clothing, personal effects of insured or employees.

**Risks Covered** : (As per Section 1, including Burglary, Robbery and Dacoity).

**Exclusions** : As per Section 1 including :  
(a) Damage to livestock, motor vehicle and money, securities for money, stamps, bullion, bonds, bills of exchange, promissory notes, stock and share certificates, models, unset precious stones, jewellery and valuables. Any curious or works of art for an amount exceeding Rs.1000/-.  
(b) Erasure or breakdown of information contained in data carrying materials and/or consequential loss of any description.

**Section 2 (B) - Tenants' Liability** : Liability as a Tenant for damage to office premises including fixtures and fittings.

**Risks covered** : As per Section 1(A)

**Section 3 - Money** : Loss of money while in transit, on the premises during office hours and in safe after office hours. The premium will be calculated on total sum insured declared, under all 4 sub section in the proposal form, by Insured.

**Risks Covered** : Any accident and/or misfortune.

**Exclusions** : Shortage due to error, money entrusted to person other than insured/employee, loss of money from safe by duplicate keys.

**Section 4 - Fixed Glass/Sanitary Fittings**

**Risks covered** : Accident/Breakage, including damage to frames.

**Section 5 : Fidelity Guarantee** of any salaried person employed by Insured.

Premium on amount of Guarantee. In addition Rs.10 per capita will be charged for total number of persons for whom the Guarantee is sought.

**Risks covered** : Pecuniary loss caused by Fraud and/or dishonest act.

**Section 6 (A) : Electronic Equipment** and data carrying material.

**Risks covered** : Unforeseen sudden physical loss, Loss or damage due to any cause other than those specifically excluded.

**Exclusions** : 10% of each claim, pre-existing faults or defects, wear and tear, loss due to climatic conditions, maintenance